

प्रेस नोट दिनांक-20.12.2020

(1). 30प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में आज दिनांक 20.12.2020 को एंटी रोमियो टीम महिला थाना महिला रुक्मिणी सेवा संस्थान शंकर बाजार कर्वी में जाकर acid attack पीड़िता, जिले की हाइस्कूल व इंटर की topper छात्राओं व NGO में कार्यरत महिलाओं को सम्मानित किया गया एवं उन्हें मिशन शक्ति व हेल्पलाइन नंबर 112,1090,181 आदि के विषय में जागरूक किया गया, एंटी रोमियो टीम थाना कोतवाली कर्वी द्वारा भीड़भाड़ वाले इलाके चकरेही चौराहा, शंकर बाजार, मण्डी गेट, नई दुनिया, बनकट मोड़, मण्डी समिति में, एंटी रोमियो टीम थाना मारकुण्डी द्वारा कस्बा मारकुण्डी में भ्रमण कर, एंटी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा ग्राम सेमरा, पनहाई, नहर का पुरवा में, एंटी रोमियो टीम थाना बहिलपुरवा द्वारा रेलवे स्टेशन के आस-पास भ्रमण कर बालिकाओं/महिलाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताया गया।

एंटी रोमियो टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से उनके साथ घटित किसी भी प्रकार की समस्याओं के बारे में पूछा गया एवं आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित थाना प्रभारी/एंटी रोमियो टीम प्रभारी व 30प्र0 पुलिस द्वारा संचालित महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं हेतु चलाये जा रहे नम्बरों पर काल करने हेतु कहा गया।

(2). पुलिस अधीक्षक श्री अंकित मित्तल जनपद चित्रकूट के निर्देशन में कोविड-19 से बचाव हेतु चलाये जा रहे जागरूकता एवं चेकिंग अभियान के क्रम में दिनांक 19.12.2020 को जनपद चित्रकूट के समस्त थाना क्षेत्रों में कोरोना वायरस के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी गाइडलाइन एवं आदेश-निर्देशों के उल्लंघन एवं मास्क न लगाने पर थाना पहाड़ी पुलिस द्वारा 05, रैपुरा पुलिस द्वारा 03, बहिलपुरवा पुलिस द्वारा 05, थाना भरतकूप पुलिस द्वारा 05 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 188/269 भादवि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

जनपदवासियों से अपील की जाती है कि कोरोना वायरस के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी गाइडलाइन एवं आदेश-निर्देशों का पालन करें।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय के निर्देशन में अवैध खनन की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री गुलाब त्रिपाठी प्रभारी निरीक्षक थाना मऊ के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री दिनेश कुमार पांडेय तथा उनकी टीम द्वारा बरियारी खुर्द चौराहा से अभियुक्त अमर विश्वकर्मा पुत्र बैजनाथ निवासी बरियारी कला थाना मऊ जनपद चित्रकूट को आयशर ट्रेक्टर मय ट्राली में अवैध ढोका पत्थर ले जाते हुए गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना मऊ में मु0अ0सँ0264/2020 धारा 379/411 भादवि0 व 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम पंजीकृत किया गया। ट्रेक्टर को 207 एम0वी0 एक्ट के अंतर्गत सीज किया गया।

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री दिनेश कुमार पांडेय थाना मऊ
2. मुख्य आरक्षी राजबहादुर सिंह
3. आरक्षी शिवम मिश्रा